न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री [illegible]

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
14 / 2020	प्रा0पत्र 136 RLRA	09.09.2020	30.12.2020

1. फूलाराम
2. हीराराम

} पुत्रगण सुखा पुत्र पेमाराम जाति मेघवंशी निवासी थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

—मुख्य अप्रार्थी—

2. लालचन्द
3. चमेली
4. चावली

} पुत्र—पुत्री सुखा पुत्र पेमा

5. सुगनादेवी पत्नी
6. श्रवणकुमार पुत्र
7. नेतराम पुत्र
8. भानाराम पुत्र
9. भंवरीदेवी पुत्री
10. राजकुमार पुत्र
11. मोहनीदेवी पुत्री
12. सिलोचनादेवी पुत्री

} हणमानाराम पुत्र सुखा पुत्र पेमा

13. बनारसीदेवी पत्नी
14. भगवानाराम पुत्र
15. सुरेशकुमार पुत्र
16. कालूराम पुत्र
17. बालूराम पुत्र
18. चुन्नीलाल पुत्र
19. आनन्द पुत्र
20. सुनीता पुत्री
21. चुकीदेवी पुत्री

} रामकुमार पुत्र सुखा पुत्र पेमा

} जाति मेघवंशी निवासी थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—गौण अप्रार्थीगण—

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित —
1. अधि[illegible] प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थ[illegible] उपस्थित
3. अधि[illegible] अप्रार्थी सं. 2 से 21

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश [illegible]

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 तादादी 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 तादादी 3.2881 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 तादादी 1.8211 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर तहसील व जिला चूरू में हमारे पिता सुखा की पैतृक व एकल खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण का कब्जा

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)
उपखण्ड अधिकारी चूरू

काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता ने जब बैंक से ऋण लिया उसमें राजस्व कर्मचारी की भूलवश रहन का नामान्तरकरण दर्ज करते समय सुखा वल्द पेमा द्वारा रामेश्वर व फूलाराम पुत्रगण सुखा नाम जोड़ दिया गया जबकि उक्त ऋण सुखा वल्द पेमा प्रार्थीगण के पिता ने लिया था जबकि उसके पुत्रों के नाम उक्त ऋण इन्तकाल में जोड़ दिया गया जो गलत रूप से जोड़ा गया है जिस कारण उक्त प्रार्थीगण के पिता के पुत्रों का नाम हटाने बाबत् एवम् दुरूस्त करने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता ने जब बैंक से ऋण लिया तब रहन का इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 22.03.1980 दर्ज कर स्वीकृत किया तो प्रार्थीगण के पिता के साथ साथ उनके पुत्रों का नाम जोड़ दिया गया जो कि गलत है जिस इन्तकाल संख्या 106 एवं जमाबन्दी को दुरूस्त करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को कहा व कहलवाया कि प्रार्थीगण के पिता के पुत्रों के नाम उक्त इन्तकाल संख्या 106 में गलत रूप से जुड़े हुये को हटाने के लिए एवं रिकार्ड दुरूस्त कराने के लिए प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी से कई बार अपने दस्तावेज लेकर पेश हुआ मगर अप्रार्थी टालमटोल करता रहा व आखिकार दिनांक 01.09.2020 को अप्रार्थी ने ऐसा करने साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख 01.09.2020 से वादकारण तथा वाद हैतुक प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है। यह कि निवास स्थान फेरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

अतः प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 तादादी 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 तादादी 3.2881 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 तादादी 1.8211 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर तहसील व जिला चूरू में इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 22.03.1980 में प्रार्थीगण के पिता के पुत्रों का नाम जोड़ दिया गया जो कि गलत है और उक्त इन्तकाल एवं जमाबन्दी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता के पुत्रों का नाम हटाकर प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण के पिता का नाम रखे जाने जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना [illegible] न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की [illegible] पेश किया एवं गौण अप्रार्थी सं. 2 से 21 की ओर से श्री आनन्द [illegible] एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:06 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 1 की ओर पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की दम सं. 1 स्वीकार है क्योंकि राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है। प्रा0पत्र की मद सं. 2 आंशिक स्वीकार है क्योंकि कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता सुख्या की एकल खातेदारी की है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थीगण के पिता ने बैंक से ऋण लिया और रहननामा के इन्तकाल में उसके पुत्रों का नाम दर्ज हो गया जो कि राजस्व कर्मचारी की भूलवश सहवन से दर्ज हो गया। उक्त त्रुटि दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं। मद संख्या 3 आंशिक स्वीकार है क्योंकि इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 22.03.1980 रहननामा से दर्ज पुत्रों के नाम हटाया जाना उचित है। मद सं. 4 स्वीकार है। मद सं. 5 व 6 कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 7 आंशिक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की अन्तिम मद आंशिक स्वीकार है। इन्तकाल संख्या 106 के द्वारा दर्ज प्रार्थीगण के पिता सुखा के साथ अंकित पुत्रों का नाम हटाया जाना उचित है क्योंकि राजस्व कर्मचारी की भूलवश सहवन से दर्ज सुखा के पुत्रों का नाम हटाया जाना सही व उचित है।

गौण अप्रार्थी सं. 2 से 21 की ओर से पेश इकबाल जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 व 7 कानूनी हैं जिनके जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की अन्तिम मद जो कि प्रार्थीगण द्वारा मांगी गई मांग को स्वीकार किया जाता है तो हम गौण अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। प्रार्थना पत्र में मांगी मांग मानी जाकर हमारे दादा सुखा के साथ अंकित पुत्रों के नाम हटाये जावे। इन्तकाल संख्या 106 को सही व दुरूस्त किया जावे जिससे हम अप्रार्थीगण को सरकारी, अर्द्ध सरकारी व अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके।

वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के साथ वादगत कृषि भूमि की प्रमाणित नकल जमाबन्दी ख.नं. 464, 465, 466 सम्वत् 2035 से 2038, 2039 से 2041 व 2071–2074 एवं नामान्तरकरण संख्या 106 ग्राम थैलासर की प्रतियां पेश की हैं जिससे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादगत कृषि भूमि के तत्समय के एकल खातेदार प्रार्थीगण के पिता सुखा ने अपने दो पुत्रों फुला व रामेश्वर के लिए तत्कालीन समय में बैंक से ऋण लिया था। उक्त ऋण लेने पर वादगत कृषि भूमि में रहननामा का इन्तकाल संख्या 106 दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थीगण के पिता सुखा के नाम के साथ द्वारा रामेश्वर व फुला पुत्र सुखा का अंकन सहवन से कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन आज तक चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण हर तरह की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। पैरोकार राज एवं गौण अप्रार्थीगण ने इकबाल जवाब पेश किया है तथा किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता के नाम के साथ दर्ज नाम द्वारा पुत्र सुखा, फुलाराम पुत्र सुखा व रामेश्वर पुत्र सुखा के नाम हटाये जाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता सुखाराम पुत्र पेमा जाति मेघवाल निवासी थैलासर खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा महनसर (झुन्झुनू) के नाम अंकित करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित मानते हुए कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं होने का कथन किया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 में वादगत कृषि भूमि सुखा वल्द पेमा के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2041 में राहिन सुखा वल्द पेमा द्वारा रामेश्वर व फुलाराम पुत्रान कौम मेघवंशी बिना कब्जा मुर्तहीन शेखावाटी ग्रामीण बैंक महनसर (झुन्झुनू) अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में द्वारा पुत्र सुखा 1/4 हिस्सा, फुलाराम पुत्र सुखा 1/4 हिस्सा, रामेश्वर पुत्र सुखा 1/4 हिस्सा, सुखाराम पुत्र पेमा 1/4 हिस्सा अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 22.03.1980 ग्राम थैलासर के खाना सं. 5 से 7 में वादगत कृषि भूमि सुखा वल्द पेमा के नाम दर्ज है तथा खाना सं. 11 से 13 में राहिन सुखा वल्द पेमा द्वारा रामेश्वर व फुलाराम पुत्रान कौम मेघवंशी सा. ढाणी खरेटा बिना कब्जा मुर्तहीन शेखावाटी ग्रामीण बैंक महनसर अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त नामान्तरण के विशेष विवरण के कॉलम सं. 16 में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गई टिप्पणी दर्ज है जिसमें अंकित है कि श्रीमान् जी. अर्ज है कि खातेदार सुखा के पुत्रान रामेश्वर, फुलाराम ने पूर्ण खाते की भूमि शेखावाटी ग्रामीण बैंक महनसर के नाम रहन कर दी है। इन्तकाल दर्ज कर वास्ते स्वीकृति पेश है। भू–अ.नि. वृत्त कस्बा चूरू की रिपोर्ट में अंकन है कि रेकार्ड से मिलान किया अंकन सही है। ग्राम पंचायत थैलासर द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 06.04.1980 को स्वीकृत किया गया है जिसमें खातेदार सुखाराम के पुत्रान द्वारा उक्त 24.11 बीघा भूमि शेखावाटी ग्रामीण बैंक महनसर के रहन किया जाना अंकित है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थीगण के पिता सुखा वल्द पेमा के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि पर उसके दो पुत्रों रामेश्वर व फुलाराम द्वारा ऋण लेकर वादगत कृषि भूमि बैंक के रहन रखी गई थी जिसके एवज में रहननामा का नामान्तरकरण संख्या 106 दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सुखा के नाम के साथ ऋण लेने वाले उसके दो पुत्रों के भी नाम दर्ज कर दिये गये। उक्त नामान्तरण का अमल दरामद आगामी नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2041 में हो गया जिससे उक्त त्रुटि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जो आज तक चली आ रही है। उक्त त्रुटि तत्समय में सभी स्तरों पर हुई है जो सहवन से हुई प्रतीत होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में आती है जिसको सही व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पैरोकार राज एवं गौण अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए स्वीकार किया जाना उचित बताया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 464 तादादी 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 तादादी 3.2881 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 तादादी 1.8211 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर तहसील व जिला चूरू में अंकित द्वारा पुत्र सुखा 1/4 हिस्सा, फुलाराम पुत्र सुखा 1/4 हिस्सा, रामेश्वर पुत्र सुखा 1/4 हिस्सा के नाम हटाये जाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता सुखाराम पुत्र पेमा जाति मेघवाल निवासी थैलासर राहिन खातेदार शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा महनसर (झुन्झुनू) के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:06 IST
Reason: SelfAttested